

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अगस्त 2018—श्रावण 25, शक 1940

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2018

क्र. एफ-5-2-2013-पंद्रह 1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) की धारा 57-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश शासन के सेवानिवृत्त सचिव, को पद धारण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 57-ग (3) (ख) में वर्णित अवधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी नियुक्त करता है.

ORDER

No. F 5-2-2013-XV-1.—In exercise of the powers conferred by Section 57 (c) of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government do hereby appoint Shri Maneesh Kumar Shrivastava, Ex-Secretary to the Government of Madhya Pradesh as Madhya Pradesh State Co-operative Election Authority for the period specified in Section 57-C (3) (b) of the above said Act from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.